

स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु मापदण्ड

- (क) जिन्होंने तीन वर्ष की अवधि में मानदण्डानुसार स्वयं की भूमि एवं भवन की व्यवस्था कर ली हो ।
- (ख) प्राचार्य एवं व्याख्याताओं की स्थायी नियुक्ति का सम्बन्धित विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त कर लिया हो ।
- (ग) छात्र-छात्राओं की समुचित सुविधाओं का विकास कर लिया हो ।
- (घ) संस्था के वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से किया जा रहा हो ।
- (ङ) विभाग के निरीक्षण दल के द्वारा स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने की अनुशंसा की गई हो ।

निदेशक

कालेज शिक्षा, राज0, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, निदेशक कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
4. जिला कलेक्टर, बांसवाड़ा ।
5. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
6. कुल सचिव, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर ।
7. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय (रजिस्टर्ड ए.डी.)
8. सांख्यिकी शाखा, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
9. संबंधित संस्था / महाविद्यालय पत्रावली ।
10. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त-निदेशक (अनुदान)